५।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 639—तीन/2008 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 11—03—08 के द्वारा अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 654/निगरानी/2006—07.

.....

1.रामचेरे पटेल
2.रामसिया पटेल पुत्रगण झुरहा पटेल
सभी निवासी ग्राम इटमा टोला तहसील
अमर पाटन जिला—सतना म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1.रामनरेश तनय दारथ पटेल
निवासी इटमा पूर्व टोला तहसील
अमर पाटन जिला सतना म0 प्र0
2.धोबिया बेवा शिबालक पटेल
3.अनिल तनय शिवबालक पटेल
4.कौशल्या बेवा देमान पटेल
5—रामसुन्दर तनय देमान पटेल
6—ब्रजबिहारी तनय देमान पटेल
7—भगवानदीन तनय देमान पटेल
8—रामदुलारे तनय देमान पटेल
सभी निवासी ग्राम इटमा टोला तहसील
अमर पाटन जिला—सतना म0प्र0

.....अनावेदक

.....

श्री के0 के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0 के0 अवस्थी, अभिभाषक अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 22-12-17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा म0 प्र0 के आदेश दिनांक 11.3.08 के विरूद्व भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत के विरूद्व इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2–प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है. कि अनावेदक क्रमांक–1 रामनेरश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर दखलाकर अधिनियम के तहत आवेदक के नाम पटट्ा किये जाने का अनुरोध किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 23.3.07 से दुखित होकर कलेक्टर सतना के न्यायालय में रामचेरे आदि ने अपील प्रस्तुत की जो उनके 17.7.07 को अस्वीकार की गयी इसी से दुखित होकर अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में रामनरेश द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गई जो उनके द्वारा स्वीकार की गई इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया । अध्ययन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा म0प्र0 वास्थान दखलकार भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना अधिनियम 1980 के तहत दिनांक 9.2.2000 को आदेश पारित किया गया था। इसी आदेश के विरूद्व अनावेदकगण जो अधीनस्थ न्यायालय में निगरानीकर्ता थे निगरानी प्रस्तुत की थी जबकि भूमिस्वामी को अधिकार प्रदान किया जाना अिनियम 1980 के नियम 6 के अनुसार म0 प्र0 लेण्ड रेव्यन्यू कोड़ 1959 क.20 सन् 1959 की धारा 56 में अंतर्विष्टि किसी बात के होते हुये भी उस आदेश के जो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित किया गया है, विरूद्व अपील जिला कलेक्टर को होना चाहिये यह निष्कर्ष अपर आयुक्त

रीवा द्वारा भी अपने आदेश में उल्लेख किया गया है जो उचित प्रतीत होता है। मैं उनके आदेश से सहमत हूँ। अतः अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 11.3.08 उचित होने से स्थिर रखने योग्य है।

4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवॅा के प्रकरण क्रमांक 654/निगरानी/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 11.03.2008 विधि प्रावधानों से उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर